उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
e-mail id:< dgmir.uppcl@zmail.com>

संख्या–2348–औ0सं0/2012–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 28 जुलाई, 2012

03.08.2012

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

निदेशक (परिचालन)/(कार्मिक प्रबन्धन)/(कार्य एवं परियोजना),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण क्षेत्र)

विषयः–बाहय सेवा प्रदाता (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा श्रमिकों की सेवा शर्तो एवं दुर्घटनाओं आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या–1381–औस/2012–26(2)ए0एस0/06, दिनांक 15.05.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें बाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों की मजदूरी भुगतान, दुर्घटना बीमा, ई0पी0एफ0, सुरक्षा उपकरणों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये थे कि इनका निष्ठापूर्वक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और अनुपालन आख्या से दिनांक 15.07.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवगत कराया जाय।

विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आ रहा है कि कारपोरेशन के उक्त आदेश दिनांक 15.05.2012 में निर्दिष्ट आदेशों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है एवं इस कारण जहाँ एक ओर श्रम संघों द्वारा औद्योगिक अशान्ति बढ़ रही है वही दूसरी ओर विद्युतीय दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है।

सम्बन्ध में प्रत्येक खण्डीय अधिशासी अभियन्ता निम्न प्रारूप में अनुपालन आख्या अपने डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

अनुपालन आख्या का प्रारूप

1	खण्ड में बाह्य सेवा प्रदाता फर्म का नाम पता व विवरण?	
2	क्या बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा खण्ड में कार्यकर रहे संविदा कर्मियों को एकाउन्ट पेई चेक द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है ?	हॉ/नहीं
3	क्या ई0पी0एफ0 की कटौती की धनराशि सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त के यहॉ नियमित रूप से जमा कराई गयी है ?	हॉ/नहीं
4	क्या खण्ड में बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा अनुभवी प्रशिक्षित व्यक्तियों को कार्य पर रखा गया है ?	हॉ/नहीं
5	क्या बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों का फोटो सहित विवरण उपलब्ध कराया गया है ?	हॉ/नहीं
6	क्या संविदा कर्मियों का दुर्घटना बीमा कराया गया है ?	हॉ/नहीं
7	क्या संविदा कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किये गये ?	हॉ/नहीं
8	क्या खण्ड में नियोजित संविदा कर्मियों को विद्युतीय अनुरक्षण कार्य हेतु आवश्यक टी0एण्ड पी0 यथा प्लायर, सेफ्टीबेल्ट, दस्ताने, सीढ़ी आदि बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये है ?	हॉ/नहीं

उक्त अनुपालन सम्बन्धी सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एवं जॉच मुख्यालय द्वारा कराई जायेगी एवं असत्य, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या: 2348 (1) औस/2012–तद्दिनांक

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (वेव), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेवसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित कराये।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)